न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–9/18

दायर दिनांकः– 01.11.2018

निर्णय दिनांक :–20.12.2019

उनवान

दलसिंह पुत्र भल्ला उम्र 58 वर्श जाति भील निवासी सीलोरी तहसील शाहाबाद जिला बारां (राज.) व्यवसाय कृशि।

–प्रार्थी

बनाम

पप्पू पुत्र बिरधीलाल उम्र 40 वर्श जाति काछी निवासी निवाडी तहसील शाहाबाद जिला बारां राज.।

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– 1. श्री हेमराज नामदेव अभिभाशक (प्रार्थी)

2. श्री अरविन्द शर्मा अभिभाशक (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

वाकेग्राम सीलोरी पटवार क्षेत्र अजरोंडा तहसील शाहाबाद में आराजी खसरा नम्बर 46/1 रकबा 8.00 वीघा स्थित है, जिसे प्रार्थनापत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के खाते तथा कब्जेकाश्त की है, जिसके पूर्व में– रामजुगल उर्फ रमेश मीणा का खेत, पश्चिम में– गोपाल भील का खेत, उत्तर में– सरदार का खेत तथा दक्षिण में– वन भूमि स्थित है। उक्त विवादित आराजी को प्रार्थी ने आज से 35 वर्श पूर्व बंजड से नोतोड कर काबिल काश्त बनाया और कडी मेहनत व धन व्यय कर अनेकों बार गोबर की खाद डाल उपजाऊ बनाया है, उक्त आराजी पर प्रार्थी पूर्व में अतिकमी की हैसियत से काबिज था, जिसका जुर्माना व तावान प्रार्थी ने राज को अदा किया है, कब्जे के आधार पर ही उक्त आराजी दिनांक 17/09/1998 को प्रार्थी को विधिवत आवंटन की जाकर ततकालीन हल्का पटवारी द्वारा दखल व कब्जा संभलाया गया है, तभी से प्रार्थी उक्त विवादित आराजी पर वहैसियत मालिक व स्वामी होकर निरन्तर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है, जिसमें वर्तमान में प्रार्थी की फसल मक्का खडी है। प्रार्थी के कब्जे कास्त में किसी को भी दखलन्दाजी अथवा हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी पूर्व विधायक श्री हेमराज मीणा का निजी कार चालक है, जो ग्राम निवाडी का स्थायी निवासी भी नहीं है, जिसने अपने राजनैतिक प्रभाव के बल पर वर्श 2006 में खसरा नम्बर 46 में ही 5.00 बीघा भूमि विधि विरूद्व तथ्यों को छिपाकर नियमन करायी है, जबकि मूल खसरा नम्बर 46 के किसी भी भाग पर अप्रार्थी का आज तक कभी कोई कब्जा अथवा काश्त नहीं है। अप्रार्थी पप्पू दिनांक 25/09/2018 को प्रार्थी की उक्त विवादित आराजी पर पहूंचा और प्रार्थी से कहने लगा कि तुम्हारे खेत (विवादित आराजी) में मेरी 5.00

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉं (राज०)

Scanned by CamScanner

बीघा भूमि की पैमायश मुझे हल्का पटवारी ने की है, इस कारण मैं तुम्हारी उक्त विवादित आराजी में से रकबा 5.00 बीघा भूमि पर फसल काटकर कब्जा करूंगा, प्रार्थी ने अप्रार्थी से आग्रह किया कि विवादित आराजी प्रार्थी के खाते की है, जिस पर प्रार्थी विगत 35 वर्शों से काबिज है, जिस पर प्रार्थी किसी अन्य को अथवा अप्रार्थी को कब्जा नहीं करने देगा तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी है कि वह पूर्व विधायक श्री हेमराज मीणा का आदमी है, जो प्रार्थी को जबरन ताकत के बल पर विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा करेगा और प्रार्थी कुछ भी नहीं कर पायेगा। अप्रार्थी की उक्त कृत्य व धमकी से प्रार्थी के हकूक मालिकाना आराजी को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है, अप्रार्थी प्रार्थी की उक्त खातेशुदा विवादित आराजी पर जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। यदि अप्रार्थी को ताफैसला वाद अस्थायी निशेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वह अपने उक्त कृत्य व धमकी में कामयाब हो जायेगा और प्रार्थी को विवादित आराजी पर से बेदखल कर देगा, जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नहीं हो सकेगा, अनावश्यक मुकदमेंबाजी में फंसकर धन व समय का अपव्यय करना पडेगा और प्रार्थी का दावा पेश करना ही निरर्थक हो जावेगा। प्रार्थनापत्र पेश कर प्रार्थी ने इस्तदुआ की है कि अप्रार्थी को ताफैसला वाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की विवादित आराजी खसरा नम्बर 46/1 रकबा 8.00 वीघा ग्राम सीलोरी पटवार क्षेत्र अजरोंडा तहसील शाहाबाद बाबत् प्रार्थी के स्वतंत्र कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें, न अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र की मद नम्बर 1, 2, 3 को अस्वीकार कर कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र में वर्णित चतुर्थ दिशाओं की भूमि खसरा नम्बर 46/1 की रकबा 8.00 बीघा होना तथा यह भूमि प्रार्थी के कब्जेकाश्त की होना अस्वीकार है। प्रार्थी का 35 वर्श पूर्व नो–तोड करना अस्वीकार है। प्रार्थी मध्यप्रदेश का मूल निवासी है, जिसने तथ्यों को छिपाकर धोखा–धडी से आवंटन कर रिकार्ड में अमल करवा लिया है, प्रार्थी का कहीं कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 46/4 पर काबिज है, जिस पर प्रार्थनापत्र की आड में कब्जा करने की नीयत से प्रार्थनापत्र पेश किया है। अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा विवाद करने की वजह से भूमि की पैमायश भी करवा ली, फिर भी प्रार्थी जबरन दादागिरी धमकी से माननीय न्यायालय को गुमराह कर कब्जा करना चाहता है, इसी मंशा से प्रार्थनापत्र पेश किया है, प्रार्थी को कहीं दखल नहीं दिया गया। अप्रार्थी अपनी भूमि पर काबिज काश्त है, प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है, प्रार्थी को अस्थाई निशेधाज्ञा जारी कर दी गई तो, इसकी आड में अप्रार्थी के शांतिपूर्वक कब्जेकाश्त में प्रार्थी दखलन्दाजी करेगा।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में बिन्दुवार विवेचन इस प्रकार से है :–

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं को वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 46/1 रकबा 8.00 बीघा ग्राम सीलोरी तहसील शाहाबादका खातेदार होना बतलाते हुये उक्त भूमि पर आवंटन के पूर्व से वहैसियत अतिक्रमी होना कथन किया है और कब्जे के आधार पर उक्त भूमि को दिनांक 17.09.1998 से आवंटन होकर आवंटन पश्चात से वहैसियत मालिक व स्वामी होकर निरन्तर काबिज काश्त होना बतलाया है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी ग्राम सीलोरी खाता संख्या 42 से प्रार्थी वादग्रस्त भूमि

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉं (राज.)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 46/1 का खातेदार कृशक साबित है तथा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2073 से वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का वर्तमान में काबिज काश्त होना साबित है। इसके विपरीत अप्रार्थी ने भी अपनी खातेशुदा भूमि खसरा नम्बर 46/4 कें रकबा 5.00 बीघा पर स्वयं की काबिज काश्त होने का कथन किया है और जबाव के साथ अपने खाते की नकल जमाबन्दी, नकल खसरा गिरदावरी तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रति पेश की है। प्रार्थनापत्र तथा जबाव प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों से मामला सीमा विवाद का प्रतीत होता है, जिसका निर्णय मूल वाद में उभयपक्ष की साक्ष्य लिये जाने के उपरान्त किया जावेगा, तब तक रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति कायम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे मूल वाद के अन्तिम रूप से निस्तारण होने तक वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 46/1 रकबा 8.00 बीघा ग्राम सीलोरी पटवार हल्का अजरोडा तहसील शाहाबादबावत मौके की यथास्थिति कायम रखेंगे। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)
शाहाबाद

02-Jan-20 12:26:41 AM

Scanned by CamScanner